



2026 : AHC : 51441

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - सी संख्या - 6954 वर्ष 2026**

**श्रीमती फुलेश्वरी एवं अन्य**

**.....याचीगण**

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य**

**.....प्रतिवादीगण**

**याची हेतु अधिवक्ता** : गौरव आर्यन, पूनम श्रीवास्तव, शिवा साहू

**प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता** : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

**न्यायालय संख्या - 6**

**माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया**

1. याचियों के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 9 के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. के. त्रिपाठी को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 के तहत कार्यवाही में वाद संख्या 00545 वर्ष 2018 में प्रतिवादी संख्या 2-कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 वर्तमान रिट याचिका में विचाराधीन है।
3. प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि उपरोक्त आदेश के विरुद्ध याचियों के पास संहिता, 2006 की धारा 128 की उप-धारा (4) के अनुसार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत कार्यवाही शुरू करने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।
4. इसी के दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका याचियों को उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपचार के आधार पर खारिज की जाती है।

**(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)**

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।